

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश नज़रगढ़

संख्या:- प्रावि/परिषद सम्ब/दत्ता/2021/3537

तखतक:- दिनांक: 03/08/2021

ःकार्यालय आषः

उत्थित भारतम् नज़रगढ़की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय अंतर्गत आषा इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा 03/08/2021-
02 हेतु शिक्षणमा सरकारी नज़रगढ़की शिक्षा संस्था (सि) अंतर्गत प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर
प्रदेश के सम्बन्धित सम्बन्धित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 03/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बन्धित समिति की
वैश्व संघर्ष (सि) बैठक में सुनिश्चित किया गया 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बन्धित पूर्व से संघर्षित संस्थाओं को
सम्बन्धित विस्तार प्रदान करने के लिए संस्थाओं की संस्थाओं को सम्बन्धित पूर्व से संघर्षित संस्थाओं को
सम्बन्धित विस्तार प्रदान करने के लिए संस्थाओं को सम्बन्धित पूर्व से संघर्षित संस्थाओं को

सम्बन्धित समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नज़रगढ़
द्वारा 03/08/2021-22 हेतु अनुमोदित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। सम्बन्धित विस्तार प्रदान करने के लिए

संस्था का सीट एवं नाम: 1941-**SANJAY COLLEGE OF PHARMACY, CHAHIMAN, CHATA, MATHURA**

संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0डी0ई0पी0सी0आइ0डी0 द्वारा	परिषद द्वारा सत्र 2021-22
		सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश	हेतु अनुमोदित प्रवेश दस्ता
		समाप्त	
		00	00

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0डी0ई0पी0सी0आइ0डी0 द्वारा निर्धारित की शर्तों को पूरी शर्तों में पूर्णतः पाकर आवेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर
विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित
शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालय पाठ्यक्रम हेतु रु0-45000.00/- प्रतिवर्ष
एवं एम0 तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालय) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक
छात्रावधि से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रावधि से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा
निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार तदनुसार किया जाता आवश्यक होगा। शिक्षा निर्धारण समिति
द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश को पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की तारीखों के तहत देरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाना) विनियमवली-2000 की
शर्तों को अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में
उत्तर प्रदेश अंतर्गत के निदेशानुसार ही प्रवेश की नारायणी की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0डी0ई0पी0सी0आइ0डी0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(Signature)
 Sanjay College of Pharmacy
 Mathura, Dist. Mathura, UP-281406 (U.P.)

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय जाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित हस्त सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता सन्निधि भी बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकटाव रखा गया। सम्बद्धता सन्निधि द्वारा सूचना विचार-विमर्श कर निम्नपु निर्णय लिया गया =

विभी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध है, सत्र 2020-21 हेतु मीट्रो/आइईए द्वारा उन्हें सहाय्य अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में मीट्रो/आइईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अखिल भारतीय पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर राबिदि द्वारा विस्तार-सन्निधि किया गया एवं अर्कसन्निधि से मीट्रो/आइईए द्वारा प्रकटा अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।


दिनांक 14-09-2020 को जारी सम्बद्धता सन्निधि की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित तर्कों के अर्जित पाठ्यक्रम एवं सूचना अधिनियम प्रयोग क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	मीट्रो/आइईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	मीट्रो/आइईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1971	लखनऊ नगरपालिका प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।	विस्तार इन फार्मसी	60

सम्बद्धता हेतु अर्ज

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु मीट्रो/आइईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1967 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इष्टतम पाठ्यक्रमों हेतु रु. 20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु. 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (वि. तर्कीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु. 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संग्रह में समाप्त-समय पर शासन द्वारा निर्गत विधे जाने वाले साचनादेश प्रगती होगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

CS


Principal
Sanjay College of Pharmacy
Mafura Deh Road, NH#2
Chauruhan Mathura-281406 (U.P.)

- ✓ जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का सुनिश्चय किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण करे जायेंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों को अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आकटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्भर शासनादेश को अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुलभ बना कर देना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०एच०आई० से जायगी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/निर्देश/आविधिक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये वाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संस्थ में समस्त उत्तरप्राप्तियों संस्था को होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी नोट दायर किया जाता है तब तब तक जो संस्था में का कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मा किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संस्थाओं को संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु फाइनलिस्टों को प्रवेश देने के पूर्व पी०आई०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (फाइनलिस्टों को माध्यम से जयकों संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भोग्य हेतु निर्गत नवीनीकरण आदेशों निम्न को अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थापना, सत्र-सूचना, स्थापना, प्राप्त किया जाना वाला सुचना प्राप्त करना सुलभ करि का निर्देश देकर देना कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपकरणों मन्त्रों के साथ शक्ति खोले के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध प्रसारण गये अतिरिक्त सुविधा-व्यय, फर्निचर, व्यय, इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी मिलती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था को संज्ञा मिले जायेगी अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न मिले जाने अथवा तब का उपलब्ध बिन्दु जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

पू०सं०- प्रवेश/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तार दिनांक: 15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, संजय कॉलेज ऑफ फार्मसी, ग्रहोमान, छाता, मथुरा।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

Prabman
Principal

Sanjay College of Pharmacy
Mathura Delhi Road, NH92
Chauruhan Mathura-281406 (U.P.)

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित कई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुषंग में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्दे-2 में रिफ्लेक्सा इन इजी० पाठ्यक्रम सुंघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

" संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संघ में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन बधावत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों से अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/सी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित एवं संमत	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1961	संजय कॉलेज ऑफ फार्मसी, पटवर्धन, मथुरा	डिप्लोमा इन फार्मसी	45	20

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयीं शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा गुण्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित गुण्य सैन एपीए इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष गुण्य ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से गुण्य के संगतता में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को तत्पश्चात् दर्द लागू होगी।

(Signature)
Principal
Sanjay College of Pharmacy
Mathura Delhi Road, NH2
Chaurimuhani, Mathura-281406 (U.P.)

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता)
- ✓ विनिष्कासनी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आगनादेशों के अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता मुलक जागा करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआईसीआईओईओ से आगनी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जागा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/निष्कास/अभिविष्कास/सम्बद्धियों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, उओप्र, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उओप्र तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उओप्र द्वारा किये गये निर्देशों, विनिष्कास, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि बी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में समस्त सन्तारदायित्व संस्था को होगा और शिक्षक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशकालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई सचद दापर किया जाता है तथा सचद सच के समय में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था को करना होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचकाज द्वारा प्राथमिक धर्म के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु जाउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व विधिवत/अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायमत्व को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) अवकाश संस्था सत्र पर नहीं प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सचकाज द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सम्बन्धित आदेशों, विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने प्रेषण/सच पर संस्था की समस्त सुधारणें जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूचिपुस्त, सचकाज सच-सचकाज, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुचारु प्रेषणसत्र मुलक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण कायमत्व सचकाज अथवा के सच सचकाज संस्था को सम्बन्ध में सम्बन्ध आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित/सचकाज पाठ्यक्रम को हलचल करने हेतु निरोधक समिति के समस्त उपलब्ध कार्यों एवं अभिलेखों भूति-भारत, सम्बन्धित सचकाज इत्यादि का यदि संस्था में सचकाज सचकाज के सचकाज में सचकाज किया जाता है तब सचकाज को हलचल जानकारों से हो के कि संस्था सचकाज का प्रेषण किसी अन्य कार्यों के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था को सम्बन्धित सम्बन्ध किये जाने की अनुमति नहीं जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अवकाश प्राप्त या उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निष्कास/सचकाज अनुसन्धानसत्र कार्यवाही की जाएगी।

/
 (सचकाज कुमार सिंह)
 सचकाज

सच दिनांक: 15-5-2010

पृष्ठ- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2010/1133-2252
 प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, सचकाज कॉलेज ऑफ फार्मसी, सचकाज, छाता, मधुरा।

(Signature)
 Principal
 Banjry College of Pharmacy
 Mathura Delhi Road, NH02
 Mathura-281406 (U.P.)

(Signature)
 (सचकाज कुमार सिंह)
 सचकाज
(Signature)
 Principal
 Banjry College of Pharmacy
 Mathura Delhi Road, NH02
 Mathura-281406 (U.P.)